कार्यालय प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, बहराइच।

विज्ञप्ति

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक संख्या-1928/ एस.एफ.सी.एम. सेल/लखनऊ, दिनांकित 28.02.2026 के अनुपालन में परिवार न्यायालय, बहराइच में रिक्त 03 पद पर परामर्शदाता की नियुक्ति के सम्बन्ध में प्राप्त आवेदनपत्र उत्तर प्रदेश शासन को अग्रसारित किये जाने हैं, जिसके सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-102 / VII/ न्याय-2-2015-728/ 86, न्याय-अनुभाग-2, अधीनस्थ न्यायालय, लखनऊ, दिनांकित 18.06.2015 के द्वारा निम्न अर्हता प्राप्त व्यक्तियों से संलग्न प्रारूप पर आवेदनपत्र आमंत्रित किये जाते हैं:-

(1) आवेदक समाजशास्त्र या मनोविज्ञान में से एक विषय में स्नातक की डिग्री रखता हो और समाज सेवा का अनुभवी हो, जो आवेदक सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्री धारक है और पारिवारिक काउन्सिलिंग में दो वर्ष का अनुभव रखता है, उसे वरीयता दी जायेगी।

(2) आवेदक की आयु आवेदनपत्र प्रस्तुत करने के दिनांक को 35 वर्ष से 65 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।

(3) परामर्शदाता का कार्यकाल 03 वर्ष का होगा तथा माननीय उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर 03 वर्ष के लिए उनके नाम पर पुनर्विचार किया जा सकता है।

(4) परामर्शदाता के पद पर नियुक्ति शासकीय सेवा में नियुक्ति नहीं मानी जायेगी और वे न्यायालय से संविदा के आधार पर सम्बद्ध रहेगें।

(5) उ०प्र० शासन के शासनादेश सं०-20/2024/525/सात-न्याय-2-2024-64 बी/2023 दिनांकित 20 जून 2024 के अनुसार परिवार न्याायलय में नियुक्त परामर्शदाता को वर्तमान में रूपये 1,000/- प्रति कार्य दिवस अथवा रूपये-24,000/- प्रतिमाह, जो भी कम हो, मानदेय देय है।

जो पुरुष अथवा महिला इस पद पर नियुक्त होने के इच्छुक हो, वे अपना आवेदनपत्र अपने शैक्षिक एवं अनुभव प्रमाण-पत्रों की स्व प्रमाणितछायाप्रति सहित दिनांक 31.03.2026 तक प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, बहराइच, के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत कर सकते है अथवा पंजीकृत डाक से प्रेषित कर सकते है।

दिनांक 23-03-2026

प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, बहराइच।

प्रतिलिपिः-

1. जिला सूचना अधिकारी, बहराइच, को सूचना के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु एवं प्रकाशन उपरान्त सम्बन्धित समाचार पत्रों की प्रतिलिपियां अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु।
2. नोटिस बोर्ड परिवार न्यायालय/ जनपद न्यायालय / बार एसोसिएशन, बहराइच पर चस्पा करने हेतु।
3. सिस्टम अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, जनपद न्यायालय, बहराइच, को इस निर्देश के साथ कि उक्त विज्ञप्ति की प्रति को जनपद न्यायालय, बहराइच व माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।

दिनांक 23-03-2026

प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, बहराइच।